

179

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-शिवपुरी निगा - 2006-II-16

Presented
by R. S. Ahirwar
23/6/2016

R. S. Ahirwar Adv.
द्वारा आदेश दि. 23.6.16 को
प्रस्तुत
के.एस. अहिर्वर
कैलक ऑफ कोर्ट
मध्य प्रदेश मण्डल म.प्र. ग्वालियर
23-6-16

- 1- सिरिया पुत्र श्री आनन्दी (आदिवासी)
- 2- भगवानदास पुत्र श्री आनन्दी शहर (आदिवासी)
निवासी - ग्राम जालमपुर पन्निहारा
तहसील खनियाधाना जिला -
शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर
जिला - शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/2015-16/अ-21
(1) में पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व
संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 3- यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम जालमपुर पन्निहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 59 रकवा 0.50 एवं सर्वे नं. 60 रकवा 0.20 है। भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 0.70 है। भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है। जिसमें मुख्य आधार यह लिया गया था कि वह अपनी शेष बची भूमि को कृषि उपयोगी बनाने तथा अपनी पुत्री की शादी करने हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर भूमि विक्रय करना चाहता है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला शिवपुरी को उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2006/दो/2016

जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23.6.16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण प्रकरण क्रमांक 19/2015-16/अ-21 (1) में पारित आदेश दिनांक, 19.05.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 59 रकवा 0.50 एवं सर्वे नं. 60 रकवा 0.20 है। भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 0.70 है। भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है। जिसमें मुख्य आधार यह लिया गया था कि वह अपनी शेष बची भूमि को कृषि उपयोगी बनाने तथा अपनी पुत्री की शादी करने हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर भूमि विक्रय</p>	





करना चाहता है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला शिवपुरी को उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार किये बिना प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। किन्तु उनके द्वारा विक्रय की अनुमति नहीं दी गयी। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

3- आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया था। आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 59 रकबा 0.50 एवं सर्वे नं. 60 रकबा 0.20 है। भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकबा 0.70 है। भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है क्योंकि आवेदक की शेष बची भूमि में सुधार कर तथा उसे कृषि योग्य बनाने हेतु धन की आवश्यकता है, किन्तु कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार न कर जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है, और उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

4- अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


गया, इसलिए वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, अतः इसी आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।

5- विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक आवश्यकता से भूमि विक्रय की अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी है। इस संबंध में उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वह अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की सम्पूर्ण भूमि में से ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 59 रकवा 0.50 एवं सर्वे नं. 60 रकवा 0.20 है 0 भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 0.70 है 0 विक्रय करने हेतु आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि वह उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात चाहता वह भूमिहीन नहीं होंगे एवं अपनी बची हुयी भूमि को कृषि योग्य बना सकेगे। बल्कि उनके जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रहेगी। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की पारिवारिक आवश्यकताओं पर विचार किये बिना जो कार्यवाही एवं आदेश कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा की जा रही है, वह विधिवत नहीं है।

R
M

OM

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 अपास्त किया जाकर आवेदक को ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाघाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 59 रकवा 0.50 एवं सर्वे नं. 60 रकवा 0.20 है० भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 0.70 है० भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।


सदस्य

